"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर 2017—कार्तिक 19, शक 1939

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राज साधवानी आत्मज श्री श्याम लाल साधवानी, निवासी-गली नं.-6, बंगाली पारा, नया सरकंडा, बिलासपुर (छ. ग.) पिन 495001 का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य आवश्यक दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा नाम राज कुमार साधवानी (Raj Kumar Sadhwani) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम राज साधवानी (Raj Sadhwani) रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राज साधवानी आ. श्री श्याम लाल साधवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

राज कुमार साधवानी
(Raj Kumar Sadhwani)
पिता-श्री श्याम लाल साधवानी
निवासी-गली नं.-6, बंगाली पारा,
नया सरकंडा, बिलासपुर
जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
पिन-495001

**नया नाम**

राज साधवानी
(Raj Sadhwani)
पिता-श्री श्याम लाल साधवानी
निवासी-गली नं.-6, बंगाली पारा,
नया सरकंडा, बिलासपुर
जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
पिन-495001

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सोनम सिन्हा ध. प. श्री टूपेन्द्र सिन्हा, निवासी-तुलसीपुर गली नं.-3, वार्ड नं.-18, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. अंगेश्वरी सिन्हा आत्मजा श्री चन्द्रहास सिन्हा था तथा मैं इसी नाम से जानी, पहचानी जाती थी यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री टूपेन्द्र सिन्हा के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सोनम सिन्हा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती सोनम सिन्हा ध. प. श्री टूपेन्द्र सिन्हा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
| --- | --- |
| कु. अंगेश्वरी सिन्हा<br>पिता-श्री चन्द्रहास सिन्हा<br>निवासी-मुदलियार कालोनी,<br>स्टेशन पारा, वार्ड नं.-7, राजनांदगांव<br>तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) | श्रीमती सोनम सिन्हा<br>पति-श्री टूपेन्द्र सिन्हा<br>निवासी-तुलसीपुर, गली नं.-3,<br>वार्ड नं.-18, राजनांदगांव<br>तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) |

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती दिव्या बाई साहू ध. प. श्री दिलीप कुमार साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी- ग्राम-कोटनी, पो.- नगपुरा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. संतोषी आत्मजा श्री उमेंदी राम था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री दिलीप कुमार साहू के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती दिव्या बाई साहू रख ली हूं तथा यही नाम मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज है. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती दिव्या बाई साहू ध. प. श्री दिलीप कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
| --- | --- |
| कु. संतोषी<br>पिता-श्री उमेंदी राम<br>निवासी-ग्राम-कोटनी,<br>पोस्ट-नगपुरा,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | श्रीमती दिव्या बाई साहू<br>पति-श्री दिलीप कुमार साहू<br>निवासी-ग्राम-कोटनी,<br>पोस्ट-नगपुरा,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, महेश कुमार बटघरे आत्मज स्व. गजानंद बटघरे उम्र 56 वर्ष, निवासी-630, सड़क नं.-7, शांति नगर, वार्ड नं.-11, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम महेश कुमार बटघरे दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व मेरे बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा अपूर्ण नाम महेश कुमार दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम महेश कुमार बटघरे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे महेश कुमार बटघरे आ. स्व. गजानंद बटघरे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| महेश कुमार<br>पिता-स्व. गजानंद बटघरे<br>निवासी-630, सड़क नं.-7,<br>शांति नगर, वार्ड नं.-11,<br>सुपेला, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | महेश कुमार बटघरे<br>पिता-स्व. गजानंद बटघरे<br>निवासी-630, सड़क नं.-7,<br>शांति नगर, वार्ड नं.-11,<br>सुपेला, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बीरबल यादव आत्मज श्री गयाराम यादव उम्र 39 वर्ष, निवासी-बोरसी, वार्ड-51, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड व पेनकार्ड में मेरा सही नाम बीरबल यादव आ.श्री गयाराम यादव दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम बीरबल आ. गयाराम दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम बीरबल यादव रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे बीरबल यादव आ. श्री गयाराम यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| बीरबल (Birbal)<br>पिता-श्री गयाराम (Shri Gayaram)<br>निवासी-ग्राम बोरसी,<br>वार्ड-51, दुर्ग<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | बीरबल यादव<br>(Birbal Yadav)<br>पिता-श्री गयाराम यादव<br>(Shri Gayaram Yadav)<br>निवासी-ग्राम-बोरसी,<br>वार्ड-51, दुर्ग<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सावित्री साहू ध. प. श्री अगरमन साहू, उम्र, 65 वर्ष, निवासी-ग्राम-पो- डून्डेरा वार्ड क्र.-41, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि ग्राम डून्डेरा में मेरे नाम की भूमि के राजस्व दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा नाम सुमरित बाई आत्मजा श्री नम्मूलाल दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सावित्री साहू रख ली हूं, यही नाम मेरे आधार कार्ड, परिचय पत्र व पेन कार्ड में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती सावित्री साहू ध. प. श्री अगरमन साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| श्रीमती सुमरित बाई<br>(Smt. Sumrit Bai)<br>पिता-श्री नम्मूलाल<br>निवासी-ग्राम-पो.- डून्डेरा,<br>वार्ड क्र.-41,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | श्रीमती सावित्री साहू<br>(Smt. Savitri Sahu)<br>पति-श्री अगरमन साहू<br>(Shri Agarman Sahu)<br>निवासी-ग्राम-पो- डून्डेरा,<br>वार्ड क्र.-41,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कामिनी गुप्ता, आत्मजा स्व. रामशरण गुप्ता, निवासी-रिद्धि-सिद्धी कालोनी, म. नं.-85, वार्ड नं.-39, कौरिन भाठा, फेस-1, तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पेन कार्ड में मेरे पिता स्व. रामशरण गुप्ता के स्थान पर मेरे पति श्री राजीव गुप्ता का नाम दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः मेरे पेन कार्ड में मेरे पति श्री राजीव गुप्ता के स्थान पर मेरे पिता स्व. रामशरण गुप्ता का नाम दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| कामिनी गुप्ता<br>पिता-श्री राजीव गुप्ता<br>निवासी- रिद्धि-सिद्धी कालोनी,<br>म. नं.-85, वार्ड नं.-39,<br>कौरिन भाठा, फेस-1, राजनांदगांव<br>तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) | श्रीमती कामिनी गुप्ता<br>पिता-स्व. रामशरण गुप्ता<br>निवासी- रिद्धि-सिद्धी कालोनी,<br>म. नं.-85, वार्ड नं.-39,<br>कौरिन भाठा, फेस-1, राजनांदगांव<br>तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती नीरा बाई ध. प. श्री विष्णु प्रसाद सिन्हा, उम्र 50 वर्ष, निवासी- म. नं.-469, शास्त्री चौक डूण्डेरा, उतई, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कामती बाई था. मेरा विवाह श्री विष्णु प्रसाद सिन्हा के साथ संपन्न हुआ. मेरे पति बी. एस. पी. में मजदूरी का कार्य करते हैं, विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती नीरा बाई रख ली हूं, किन्तु मेरे पति के बी. एस. पी. रिकार्ड में मेरा पूर्व नाम कामती बाई दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरे आधार कार्ड, बैंक पास बुक, परिचय पत्र मेरी बेटी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नया परिवर्तित नाम दर्ज है. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती नीरा बाई ध. प. श्री विष्णु प्रसाद सिन्हा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

कामती बाई
निवासी- म. नं.-469,
शास्त्री चौक डूण्डेरा, उतई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

श्रीमती नीरा बाई
पति-श्री विष्णु प्रसाद सिन्हा
निवासी- म. नं.-469,
शास्त्री चौक डूण्डेरा, उतई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मोगरा बाई ध. प. श्री रघुनाथ साहू, उम्र 47 वर्ष, निवासी-म. नं.-15, वीर शहीद नारायण नगर, वार्ड नं.-28, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम सुशीला बाई था, मेरा विवाह श्री रघुनाथ साहू के साथ संपन्न हुआ. मेरे पति बी. एस. पी. में मजदूरी का कार्य करते है विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती मोगरा बाई रख ली हूं. मेरे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मेरे बेटे के शैक्षणिक प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नया नाम दर्ज है, किन्तु मेरे पति के बी. एस. पी. रिकार्ड में मेरा पूर्व नाम सुशीला बाई दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती मोगरा बाई ध. प. श्री रघुनाथ साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

सुशीला बाई
निवासी- म. नं.-15,
वीर शहीद नारायण नगर,
वार्ड नं.-28, खुर्सीपार, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

श्रीमती मोगरा बाई
पति-श्री रघुनाथ साहू
निवासी- म. नं.-15,
वीर शहीद नारायण नगर,
वार्ड नं.-28, खुर्सीपार, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

# विविध

## अन्य सूचनाएं

OFFICE OF THE DIRECTOR
GOVT. PRINTING AND STATIONERY, INDIRAWATI BHAWAN, BLOCK-1, SECOND FLOOR,
NAYA RAIPUR CHHATTISGARH

TENDER NOTICE

New Raipur dated 2 November 2017

No. GB-II/Printing/(45)/2017-2018/945.- 1. Sealed Tenders are invited for rate contract of all type of printing paper's and all other printable media & rate contract for all type of printing prepress and postpress requirements, of the printing works of the department to the Govt. Press at Raipur. Rajnandgaon super scribed with the words Tender for employment are invited from printers having machines for printing and binding work Tenders must reach this office latest by 3.00 P. M. Date 11-12-2017. The Rate contract applicable for minimum one year will be as per C. G. Govt. Store Purchase rules. Preference will be given to suppliers of C. G. state printers & manufacturers having valid Industries registration. The rate contract quotation call is for meeting the printed material requirement of various C. G. Govt. Department with latest Technology products. Govt Press intends to explore the latest best quality paper& other printable media various printing process. Binding etc. Hence bidders are expected to offer the rates with Technical specifications & samples of the tendered Items in relevent quantity slabs. Rates will not be considered without samples & specifications.

2. The Tenders will be considered only on the tender form supplied by us or It can also be submitted on the form downloaded from of website **www.cgstate.gov.in.**

3. The Tenders will be opened on the same day at 4.00 P. M. in the Office of the undersigned in the presence of such Tender or their authorized representatives also may be present. The tenders and other tender documents recived after the prescibed date and time will not be accepted under any circumstances irrespective of means of dispatch and delivery. The details of specification of printable materials etc. are given in the Tender Form.

4. In Case if tender is obtained from our website he shall have to submitted Rs. 1000/- ( Cash receipt or demand draft) in our office on the date of submission of tender otherwise the taender will not be accepted.

1. Sale of tender document from :- 9-11-2017
2. Last date of tender document submission :- 11-12-2017, 3 P. M.
3. Tender document opening date :- 11-12-2017, 4 P. M.

**Note :-** Tender form can also be downloaded from **www.cg.state.gov.in**

**Ramesh Sharma**
**Director**
**Govt. Printing & Stationary,**
**Chhattisgarh Raipur**

## कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2017

क्रमांक/परिसमापन/पुनर्जिवित/2017/2355.—भू-विस्थापित मजदूर किसान सहकारी समिति मर्या. जांजी पंजीयन क्रमांक 145 दिनांक 06-5-2003 को पुनर्जिवित किये जाने हेतु परिसमापक श्री आर. सी. ध्रुव परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी द्वारा पुनर्जिवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. जिसमें समिति को वर्तमान में एन. टी. पी. सी. सीपत द्वारा कार्य दिया गया है, जो समिति के सदस्य कार्य कर रहें है तत्संबंध में समिति के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक दिनांक 25-09-2017 को की गई है, जिसमें समिति के मजदूर किसान की हित को ध्यान में रखते हुए एवं संस्था के वर्ष 2016-17 का वित्तीय पत्रक संलग्न करते हुए सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जिवित किये जाने का लेख किया गया है. संस्था के हित को देखते हुए परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी श्री आर. सी. ध्रुव के प्रतिवेदन से में सहमत हूं.

अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत भू-विस्थापित मजदूर किसान सहकारी समिति मर्या जांजी पं. क्र. 145 दिनांक 06-05-2003 विकास खण्ड, मस्तूरी, जिला बिलासपुर को पुनजिर्वित करता हूं एवं आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 03 माह तक संस्था के कार्यकारिणी के कार्य संचालक हेतु तात्कालिक संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं. साथ ही यह भी निर्देशित करता हूं कि आदेश दिनांक के 03 माह के भीतर निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची तैयार कर राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर को प्रेषित करें.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्रमांक/परिसमापन/पुनर्जिवित/2017/2399.—खारंग आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्या. जाली पं. क्र. 3628 दिनांक 28-02-1995 विकास खण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को पुर्नजीवित किये जाने हेतु परिसमापक श्री एस. आर. भगत, सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा द्वारा पुनर्जिवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा समिति के सदस्यों की बैठक दिनांक 12-10-2017 को की गई है, जिसमें संस्था के वर्ष 2016-17 का वित्तीय पत्रक संलग्न करते हुए सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जिवित किये जाने का लेख किया गया है. साथ ही संस्था को खारंग (खूंटाघाट जलाशय) में मत्स्य पालन हेतु प्रबंध संचालक छ. ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित रायपुर से 10 वर्षीय लीज पर जलाशय को आवंटित किया गया है अतः सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए श्री एस. आर. भगत सहकारिता विस्तार अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत खारंग आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्या. जाली पं. क्र. 3628 दिनांक 28-02-1995 विकास खण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को इस शर्त पर "कि संस्था का रिकार्ड संधारण अद्यतन स्थिति तक संधारित करें, तातारीख कैशबुक लिखी जाकर नियमित अंकेक्षण कराई जावे एवं निर्धारित समयावधि में मतदाता सूची तैयार कर छ. ग. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर को संस्था के निर्वाचन हेतु विधिवत निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेजेगी" पुनर्जिवित करता हूँ एवं आगामी 03 माह तक संस्था के कार्य संचालक हेतु तात्कालिन संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

**दिलीप जायसवाल,**
उप पंजीयक.

## कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं कांकेर (छ. ग.)

कांकेर, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्रमांक/उपंका/परिसमापन/2017/993.—प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय कांकेर पुलिस थ्रिफ्ट साख सहकारी समिति मर्यादित कांकेर (छ. ग.) के पत्र क्रमांक/पु. अ./कांकेर/पु. थ्रि. सा. स. समिति/एम.-907/17 दिनांक 04-07-2017 द्वारा कांकेर पुलिस थ्रिफ्ट साख सहकारी समिति मर्यादित कांकेर (छ. ग.) पंजीयन क्रमांक 590 दिनांक 23-09-2017 का पंजीयन निरस्त कर परिसमापन की कार्यवाही करने निवेदन किया गया है. समिति के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में समिति के समस्त सदस्यों की अंशराशि एवं ब्याज के रूप में प्राप्त आय की राशि नियमानुसार वापस कर दी गई है, भविष्य में समिति कार्य संचालन करना नहीं चाहती.

अत: मैं जॉन खलखो उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं कांकेर छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत एवं सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ.-7-3/सह./15/2436 रायपुर दिनांक 13-01-2006 द्वारा मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्री महेश मरकाम सहकारिता निरीक्षक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

**जॉन खलखो,**
उप पंजीयक.

---

## कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्रमांक/2034/उपरा/परि./2017.—स्टील फ्रेबीकेशन औद्योगिक सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. 390 जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1792-ए/उंपरा/परिसमापन/2017 राजनांदगांव दिनांक 05-09-2017 जारी किया गया कि वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं "डी" वर्ग में है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओं सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्टील फ्रेबीकेशन औद्योगिक सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. 390 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उपधारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 24-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्रमांक/2035/उपंरा/परि./2017.—माॅ संतोषी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. 515 जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1792-ए/उपंरा/परिसमापन/2017 राजनांदगांव दिनांक 05-09-2017 जारी किया गया कि वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं “डी” वर्ग में है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओं सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए माॅ संतोषी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव प. क्र. 515 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमाापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उपधारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 24-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्रमांक/2036/उपंरा/परि./2017.—सत्य सांई प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या. राजनांदगांव प. क्र. 523 जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1792-ए/उपंरा/परिसमापन/2017 राजनांदगांव दिनांक 05-09-2017 जारी किया गया कि वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं “डी” वर्ग में है संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओं सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्य सांई प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या. राजनांदगांव प. क्र. 523 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उपधारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 24-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

**डी. आर. ठाकुर,**
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.